पत्रांक–2ब०/जला०–07–01/2007(खंड–I) 15 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मोतिहारी।

पटना, दिनांक-04/10/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 7862 घरों में House Connection हेतु स्वीकृत ₹170.2900 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख उनतीस हजार रु०) मात्र में से तत्काल ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय में वासित प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल का जल उपलब्ध कराया जाना है। निश्चय योजना लागू होने के पूर्व से राज्य योजनान्तर्गत कई शहरी स्थानीय निकायों में पेयजलापूर्ति योजना स्वीकृत थी तथा इनका कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा था। इन योजनाओं में गृह जल संयोजन का प्रावधान नहीं था। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन शहरी स्थानीय निकायों में पूर्व से राज्य योजनान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना चालू है उनमें उसी कार्यकारी एजेंसी द्वारा गृह जल संयोजन का कार्य कराया जाय ताकि डुप्लीकेसी की संभावना नहीं हो।

2. नगर परिषद्, मोतिहारी क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत गृह जल संयोजन हेतु अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 147, दिनांक– 27.03.2017 द्वारा कुल 7862 घरों में गृह जल संयोजन कार्य हेतु ₹170.29 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख उनतीस हजार रु०) का प्राक्कलन समर्पित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस योजना के वितरण प्रणाली से अच्छादित वार्ड सं०– 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37 एवं 38 में कुल 7862 गृहों में गृह जल संयोजन हेतु प्रति घर ₹1513.53 एवं restoration हेतु प्रति घर ₹620.03 अर्थात ₹2134.00 की दर से प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है।

3. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अनुरोध एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अंचल मोतिहारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आलोक में नगर परिषद्, मोतिहारी क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजना में 7862 घरों में गृह जल संयोजन हेतु विभागीय पत्रांक– 2154, दिनांक– 11.04.2018 द्वारा ₹170.2900 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख उनतीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल स्तंभ– 6 के अनुरूप ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०– 68, दिनांक– 04/10/18 के आलोक में निम्नवत आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	विभागीय पत्रांक एवं दिनांक	तकनीकी अनुमोदित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, मोतिहारी	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत वार्ड सं०– 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37 एवं 38 में कुल 7862 घरों में गृह जल संयोजन कार्य।	पत्रांक– 2154, दिनांक– 11.04.2018	170.29000	85.14500	85.14500

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र ।

4. उक्त आवंटित राशि ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 324, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी तत्पश्चात चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. उक्त आवंटित राशि ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष 01– जल पूर्ति–लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215017890102** विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

9. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

11. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

15. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

16. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–07–01/2007(खंड–I) 15 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-04/10/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द

पत्रांक–2ब०/जला०–07–01/2007(खंड–I) 68 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–04/10/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 7862 घरों में House Connection हेतु स्वीकृत ₹170.2900 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख उनतीस हजार रु०) मात्र में से तत्काल ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय में वासित प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल का जल उपलब्ध कराया जाना है। निश्चय योजना लागू होने के पूर्व से राज्य योजनान्तर्गत कई शहरी स्थानीय निकायों में पेयजलापूर्ति योजना स्वीकृत थी तथा इनका कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा था। इन योजनाओं में गृह जल संयोजन का प्रावधान नहीं था। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन शहरी स्थानीय निकायों में पूर्व से राज्य योजनान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना चालू है उनमें उसी कार्यकारी एजेंसी द्वारा गृह जल संयोजन का कार्य कराया जाय ताकि डुप्लीकेसी की संभावना नहीं हो।

2. नगर परिषद्, मोतिहारी क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत गृह जल संयोजन हेतु अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 147, दिनांक– 27.03.2017 द्वारा कुल 7862 घरों में गृह जल संयोजन कार्य हेतु ₹170.29 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख उनतीस हजार रु०) का प्राक्कलन समर्पित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस योजना के वितरण प्रणाली से अच्छादित वार्ड सं०– 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37 एवं 38 में कुल 7862 गृहों में गृह जल संयोजन हेतु प्रति घर ₹1513.53 एवं restoration हेतु प्रति घर ₹620.03 अर्थात ₹2134.00 की दर से प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है।

3. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अनुरोध एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अंचल मोतिहारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आलोक में नगर परिषद्, मोतिहारी क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजना में 7862 घरों में गृह जल संयोजन हेतु विभागीय पत्रांक– 2154, दिनांक– 11.04.2018 द्वारा ₹170.2900 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख उनतीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल स्तंभ– 6 के अनुरूप ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	विभागीय पत्रांक एवं दिनांक	तकनीकी अनुमोदित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, मोतिहारी	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत वार्ड सं०– 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37 एवं 38 में कुल 7862 घरों में गृह जल संयोजन कार्य।	पत्रांक– 2154, दिनांक– 11.04.2018	170.29000	85.14500	85.14500

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र ।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 324, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी तत्पश्चात चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि ₹85.14500 लाख (पचासी लाख चौदह हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष 01– जल पूर्ति–लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215017890102** विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

9. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

11. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा** :–

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

15. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

16. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०–07–01/2007(खंड–I) के पृष्ठ सं०– 34 /टि० पर दिनांक– 28.09.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 35 /टि० पर दिनांक– 01.10.2018 को प्राप्त है ।

17. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–07–01/2007(खंड–I) 68 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 04/10/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द